<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—706 / 2009</u> संस्थित दिनांक—30 / 11 / 2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — **अभियोजन**

विरुद्ध

परमानंद पिता बोधीलाल यादव, उम्र–28 वर्ष, निवासी–मनोहरपुर, थाना बिछिया, जिला–मण्डला (म.प्र.)

----<u>अभियुक्त</u>

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-18/12/2014 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—279, 338 एवं धारा—134/187 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—03.11.2009 को समय सुबह करीब 8:45 बजे ग्राम मंजीटोला आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन कमांक—एम.पी.04/बी.ए.9879 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, उक्त वाहन से आहत वासुदेव को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित किया तथा उक्त दुर्घटना में आहत को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराया।
- 2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी ने दिनांक—03. 11.2009 को समय सुबह करीब 8:45 बजे ग्राम मंजीटोला आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन कमांक—एम.पी.04/बी.ए.9879 को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए अचानक ब्रेक मारते हुये प्रार्थी वासुदेव की मोटर सायकल कमांक—एम.पी. 22/एफ.6387 को ठोस मार दिया, जिससे आहत के सिर व बांये पैर में चोट कारित हुई। आहत को चिकित्सीय ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल बैहर में भर्ती करया गया। अस्पताल बैहर द्वारा उक्त घटना के संबंध में लिखित तहरीर के माध्यम से थाना बैहर में सूचना दी गई। उक्त लिखित तहरीर के आधार पर वाहन चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—56/2009, अंतर्गत धारा—279, 337 भा.द.सं. एवं धारा—134/187 मोटर यान अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत विरेन्द्र का मुलाहिजा करवाया गया, पुलिस ने विवेचना दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आहत वासुदेव की चिकित्सीय एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार आहत को अस्थि भंग

होने से धारा—338 भा.द.वि. का इजाफा कर अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 एवं धारा—134/187 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूटा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

- 1. क्या आरोपी दिनांक—03.11.2009 को समय सुबह करीब 8:45 बजे ग्राम मंजीटोला आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक—एम.पी. 04 / बी.ए.9879 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत वासुदेव को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित किया ?
- 3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त दुर्घटना में आहत को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष 🛒

आहत वासुदेव (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 5-वह आरोपी को जानता है, जो उसके ही गांव मुक्की गेट पर गांडी चलाता है। घटना दिनांक-03.11.20089 सुबह करीब 8:30 बजे या 8:45 बजे की है। घटना समय वह मुक्की गेट से ग्राम मंजीटोला अपने सेठ नंदिकशोर डहरवाल की मोटरसाइकिल कमांक-एम.पी.22 / एफ.6387 से जा रहा था और उसी समय आरोपी ने अपने वाहन जिप्सी को उसके वाहन से आगे किया और ब्रेंक मार दिया, जिससे उसकी मोअरसाइकिल आरोपी के वाहन से टकरा गई। उसके बाद उसे आरोपी के वाहन से उसे बैहर अस्पताल लाया गया। उक्त घटना में उसके बांये पैर की हड्डी टूट गई थी और चेहरे पर बांये साईड पर चोट आयी थी। उसे जब बैहर अस्पताल लेकर गये थे, तब उसके साथ मैकल होटल के दो लडके भी साथ में थे। जब वह अस्पताल में भर्ती था तब पुलिस ने उसके बयान लिये थे। आरोपी जिप्सी वाहन चला रहा था, जिसका नम्बर एम.पी.04 / बी.ए.9879 था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसकी मोटरसाइकिल पीछे से आकर जिप्सी पर चढ़ गई। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसकी मोटरसाइकिल, जिप्सी के पीछे चल रही थी तो आरोपी ने अचानक ब्रेक मार दिया, जिससे उसकी मोटरसाइकिल, जिप्सी से टकरा गई। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर उसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं थे। साक्षी ने इस सुझाव सें इंकार किया है कि यदि उसके सावधानी बरती जाती तो उक्त घटना नहीं होती। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके द्वारा खडे वाहन को टक्कर मारने से उक्त दुर्घटना हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने उसकी रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभाष एवं लोप होना प्रकट नहीं होता है। साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

- 6— नंदिकशोर (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा प्रार्थी वासुदेव को पहचानता है। घटना दिनांक—03.11.2009 की है। घटना दिनांक को उसने अपनी मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी.22 / एफ.6387 प्रार्थी को सामान लेने मंजीटोला भेजा था। उसे भागवत ने सूचना दिया था कि वासुदेव का एक्सीडेंट हो गया है, जब वह घटना स्थल पर पहुंचा, तो देखा कि वहां पर मोटरसाइकिल पडी हुई थी। वासुदेव को जिप्सी वाहन में बैठाकर बैहर अस्पताल लेकर गये थे। आरोपी के जिस वाहन से वासुदेव का एक्सीडेंट हुआ था, उसका कोड 223 था। उसे जानकारी हुई थी कि घटना के समय आरोपी उक्त वाहन को चला रहा था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था। इस प्रकार साक्षी ने घटना स्थल पर दुर्घटना के बाद पहुंचकर देखे गये वृतांत को पेश किया है, किन्तु चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।
- 7— बिहारी लाल (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। वह प्रार्थी वासुदेव को पहचानता है। उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—1 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसके सामने मोटरसाइकिल हीरो होण्डा को जप्त कर, जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—1 पर हस्ताक्षर किये जाने की कार्यवाही से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे घाटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।
- 8— गोपाल मरकाम (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता। वह प्रार्थी वासुदेव को नहीं पहचानता है। उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। जब वह परमानंद के साथ थाने गया था, उस समय पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवाये थे। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—2 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष आरोपी को गिरफतार नहीं किया गया था, किन्तु गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—3 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने कथित जिप्सी वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

9— राजकुमार (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी से एक जिप्सी वाहन जप्त की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—2 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष आरोपी को गिरफतार नहीं किया गया था, किन्तु गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—3 पर उसके हस्ताक्षर है। साज्ञी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने किसी गाड़ी की जप्ती नहीं हुई। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन किसी भी प्रकार से नहीं किया है।

भागवत (अ.सा.६) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता। घटना लगभग एक साल पहले सुबह लगभग 8-9 बजे की है। घटना समय वह अपने रिसोर्ट में था, उस समय जोर से आवाज सुनायी दी, जब वह घटना स्थल पर उसने देखा कि एक लडका 25 फुट घसीटते हुये गया था। उक्त घटना में उस लडके का पैर टूट गया था। उस समय जिप्सी जिससे एक्सीडेंट हुआ था, वह वहीं पर खडी थी। उसे बाद में पता चला था कि जिप्सी साईड में खडी थी, मोटरसाइकिल वाला तेज रफतार से चलाते हुये आया और असंतुलित होकर दुर्घटना ग्रस्त हो गया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह रिसोर्ट के अंदर था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मोटरसाइकिल के चालक द्वारा ही तेज गति से गाडी चलाकर दुर्घटना कारित की गई है और मोटरसाइकिल चालक की गलती से दुर्घटना हुई है। यद्यपि इस साक्षी के द्वारा घटना के समय उसके रिसोर्ट के अंदर होने के कथन किये गये है तथा आवाज सुनकर वह दुर्घटना स्थल पर पहुंचा है, इस कारण साक्षी के प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया यह तथ्य कि मोटरसाइकिल चालक की गलती से दुर्घटना हुई, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में इस साक्षी को अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पेश नहीं किया गया है। ऐसी दशा में इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में दुर्घटना कथित रूप से मोटरसाइकिल चालक की गलती से होने की स्वीकारोक्ति का महत्व नहीं रह जाता।

11— चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.कं.चतुर्वेदी (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—03.11.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के आरक्षक झामसिंह क्रमांक—80 द्वारा आहत वासुदव को चिकित्सी परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसके द्वारा आहत का परीक्षण किया गया था। परीक्षण पर उसने आहत के बांये पैर , चेहरे, दांये एव बांये पैर के पंजे पर चोट पाया था। उसके मतानुसार आहत को आयी उक्त चोट सख्त एवं बोथरे वस्तु द्वारा पहुंचाया जाना प्रतीत होता है। उसके द्वारा आहत के बांये पैर का एक्सरे किया गया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्मांक—843 आर्टिकल ए—1 है। उसके द्वारा उक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण किये जाने पर उसने आहत के बांये पैर की टिबिया हड्डी में अस्थि भंग होना पाया था। आहत की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 है तथा एक्सरे परीक्षण परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके

कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने दुर्घटना के पश्चात् आहत वासुदेव को आयी अन्य चोट के अलावा पैर में अस्थि भंग कारित होने की पुष्टि की है।

रवि मिश्रा (अ.सा.८) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह 12-दिनांक-03.11.2009 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर उसके द्वारा प्राथमिक जांच कर आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया था तथा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-56 / 2009, धारा–279, 337 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-8 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक ही को उसके द्वारा द्वारा घटना स्थल से ही हीरो होण्डा मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी. 22 / एफ. 6387 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 वाहन के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षी वासुदेव, नंदिकशोर, भागवत के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षियों के समक्ष आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। आहत वास्त्रदेव की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थि भंग होने के कारण उसके द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा-338 भा.द.वि. और आरोपी द्वारा आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के कारण धारा–134/187 मोटर यान अधिनियम का इजाफा किया गया था।

13— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर पहुंचने पर उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला था और उसने साक्षी भागवत की निशानदेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी—8 तैयार किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि भागवत ने यह बताया था कि लॉज तरफ से जिप्सी रोड के किनारे खडी थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

वचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि मौके पर घटना के समय कोई भी साक्षी उपलब्ध नहीं थे तथा मात्र आहत वासुदेव की साक्ष्य के आधार पर मामला प्रमाणित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके द्वारा बढ़ा—चढ़ाकर असत्य कथन किये गये है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन का भी मामला इसी प्रकार है कि घटना होते हुये किसी चक्षुदर्शी साक्षी ने नहीं देखा है, बल्कि साक्षीगण उक्त घटना के पश्चात् मौके पर पहुंचे थे। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। आहत वासुदेव (अ.सा.1) ने उसकी

रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभाष एवं लोप होना प्रकट नहीं होता है। साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पेश नहीं किये गये थे तथा अन्य साक्षीगण ने घटना के समय मौके पर पश्चात् में पहुंचने के कथन किये है। इस कारण अन्य साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में घटना में आरोपी के बजाय स्वयं आहत की लापरवाही या गलती होने की स्वीकारोक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

15— प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य एवं पारिस्थितिक साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि आरोपी ने वाहन जिप्सी एम.पी.04 / बी.ए.9879 को चालन करते हुये अचानक रास्ते में रोककर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चालन किया, जिससे पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल चालक आहत वासुदेव जिप्सी से टकरा गया और उसे घोर उपहित कारित हुई। उक्त तथ्य से यह भी प्रकट होता है कि आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित उक्त जिप्सी वाहन को सम्यक् तत्परता व उचित सर्तकता से चालन नहीं किया गया, जिस कारण उसका कृत्य वाहन को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किये जाने और परिणाम स्वरूप आहत वासुदव को घोर उपहित कारित किये जाने की श्रेणी में आता है।

16— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध यह आरोप भी है कि उसने मौके पर आहत को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराया, जबिक आहत वासुदेव (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसे दुर्घटना के बाद आरोपी के बाहन से ही बैहर अस्पताल लाया गया था। अन्य साक्षी नंदिकशोर (अ.सा.2) ने भी अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि वासुदेव को दुर्घटना कारित जिप्सी से ही बैहर अस्पताल लेकर गये थे। इस प्रकार आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन जिप्सी से घटना स्थल से ही आहत वासुदेव को ईलाज हेतु उसे बैहर अस्पताल ले जाकर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने का तथ्य प्रकट होता है। इस प्रकार अभियोजन ने मोटर यान अधिनियिम की धारा—134 / 187 का अपराध प्रमाणित नहीं किया है।

17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने वाहन क्रमांक—एम.पी.04/बी.ए.9879 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, उक्त वाहन से आहत वासुदेव को टक्कर मारकर घोर उपहित कारित किया। अतएव आरोपी को मोटर यान अधिनियम की धारा—134/187 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाकर शेष अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध उहराया जाता है। आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

18— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2009 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड़ से दण्डित कर छोड़ा जावे।

19— आरोपी के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। आरोपी लगभग 5 वर्ष से विचारण का सामना कर रहा है। मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के अपराध के अंतर्गत निम्नानुसार दिण्डत किया जाता है:—

धारा	<u>कारावास की</u> <u>सजा</u>	<u>अर्थ दण्ड</u>	अर्थदण्ड के व्यतिकम में कारावास
धारा—279 भा.द.वि.		500 / —	1 माह का सादा कारावास
धारा—338 भा.द.वि.	न्यायालय उठने तक की सजा	500 / —	1 माह का सादा कारावास

20— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

21— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक—एम.पी.04 / बी.ए.9879 मय दस्तावेज सहित सुपुर्ददार गोपाल मरकाम पिता प्रसादीलाल मरकाम, निवासी मंजीटोला थाना बैहर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है तथा मोटर सायकल क्रमांक—एम.पी.22 / एफ.6387 उसके रजिस्टर्ड स्वामी नंदिकशोर को हिपाजतनामे पर प्रदान की गई है। अतएव अपील अविध पश्चात् उक्त सुपुर्दनामा एवं हिपाजतनामा उनके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट